2

महिला अधिकारिता की सबसे बड़ी बाधा 'घरेलू हिंसा': एक समाजशास्त्रीय विवेचन

आर० एन० त्रिपाठी*

भारत की प्राचीन परम्परा का जब हम अनुशीलन करते हैं तो पाते हैं कि स्त्री-पुरूष की समानता और समरसता अतीत में जितना हमारे देश में थी और वर्तमान में जितना है, उतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं थी और न है। आधुनिक समाज में जिस नारीवाद का हवाला देकर स्त्री को उन्मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वह हमारे देश में शीलगुण, विनय, लज्जा के साथ सदा स्वतन्त्र रही है, परन्तु मध्यकालीन युग में विदेशी आक्रान्ताओं एवं वर्तमान में सोशल मीडिया, श्रव्य-दृश्य संसाधनों द्वारा जो अश्लील व असभ्य भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे नारी की समानता व इनके अधिकारों में भविष्य में निश्चय ही एक बड़ा विराम लगेगा। प्रस्तुत शोध पत्र में इस मानवीय समस्या का एक अंश 'घरेलू हिंसा' को लेकर उसके समस्त पक्षों को जानने का प्रयास किया गया है।

[**प्रमुख शब्द** : आत्म उपलब्धि-मनोनुकूल विकास की प्राप्ति, सबलीकरण-हर क्षेत्र में सशक्तिकरण, धुरी—मुख्य या प्रमुख।]

1. प्रस्तावना

घरेलू हिंसा में वे सभी मामले आते हैं, जैसे पति द्वारा पत्नी को पीटना, यौनाचार, विधवा या बड़ी उम्र की महिला के साथ दुर्व्यवहार, दहेज मृत्यु, पत्नी या बहू को भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना इत्यादि। घरेलू हिंसा से तात्पर्य परिवार के भीतर होने वाली हिंसा से है जिसमें कोई

* **प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।**

एक वयस्क सदस्य अन्य सम्बन्धी को नियन्त्रित रखने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। सामान्यतः इसे पति द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है। यह दुर्व्यवहार भौतिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, आर्थिक धमकी से लेकर वास्तविक मार-पीट तक किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए इसे कई बार 'घरेलू दुर्व्यवहार' भी कहा जाता है। यद्यपि यह मुख्य रूप से पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार से सम्बन्धित है परन्तु इसमें लिव-इन-रिलेशनशिप तथा परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा अन्य सदस्यों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। यह वह दुर्व्यवहार या हिंसा है जो परिवार में एक सदस्य द्वारा अन्य सम्बन्धियों के साथ होती है। जिन परिवारों में घरेलू हिंसा होती है उनमें बच्चों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार भी सामान्य बात है।

2. भारत में 'घरेलू हिंसा': एक समाजशास्त्रीय विवेचन

घरेलू हिंसा अनेक स्वरूपों में प्रतिफलित होती है। इसमें भौतिक दुर्व्यवहार अथवा प्रहार, लैंगिक प्रहार एवं धमकी अथवा भावात्मक दुर्व्यवहार प्रमुख हैं। कई बार यह दुर्व्यवहार अधिक प्रखर (जैसे किसी को यह अहसास दिलाना कि वह बेकार है, उसे खर्चे हेतु कोई पैसा न देना, घर से बाहर न निकलने देना आदि) होता है, जबकि अनेक परिस्थितियों में यह भौतिक प्रहार (जैसे पत्नी को पीटना, उसे चाँटा लगाना, उसे गिरा देना, उसे किसी प्रकार की चोट पहुँचाना आदि) के रूप में पाया जाता है। किसी को सामाजिक रूप से अकेला रहने के लिए विवश करना अथवा भावात्मक दुर्व्यवहार करना बहुधा भौतिक प्रहार से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है।

जिस प्रकार ससुराल वालों या पति द्वारा मारपीट के मामले पुलिस में बहुत कम दर्ज कराये जाते हैं, उसी प्रकार परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले यौन आक्रमण (जैसे देवर, जेठ, ससुर और कभी-कभी पिता द्वारा किए गए बलात्कार) के मामले सामाजिक निन्दा के डर से कानूनी एजेन्सियों के प्रकाश में विरले ही लाए जाते हैं और नारी विवश होती है वह सब सहने के लिए कभी नैतिकता के नाम पर कभी पारिवारिक इज्जत के नाम पर घुटती रहती है। घरेलू हिंसा के मामलों की कम रिपोर्टिंग के प्राथमिक कारणों में से एक प्रचलित धारणा है कि ऐसे मामले आन्तरिक हैं तथा उन्हें परिवार के दायरे में सुलझाया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों को यह कहकर दबा दिया जाता है कि 'यह हमारे घर का मामला है'। सामाजिक मानदण्ड अक्सर महिलाओं को अपने दुःखों के बारे में चुप रहने के लिए दबाव डालते हैं, घरेलू विवादों को निजी मामला मानते हैं जिन्हें सार्वजनिक या कानूनी अधिकारियों के सामने नहीं लाया जाना चाहिए।

वैसे तो भारत सरकार ने सन् 2001 में 'महिला अधिकारिता वर्ष' घोषित किया। इसमें कोई शक नहीं कि स्त्री-जाति अब पहले से कही ज्यादा सशक्त हो रही है, या हो चुकी है। इसमें दो राय नहीं है कि आज के इस युग में महिलाएँ अपनी भूमिका का निर्वाह करने के साथ-साथ पुरुषों को प्रत्येक क्षेत्र में चुनौती दे रही है। महिला सबलीकरण के साथ-साथ एक-दूसरी चीज भी है, जो कहीं ज्यादा भयावह व क्रूर है। स्त्री के विरूद्ध अपराधों, बलात्कारों में कमी आने के बजाय उसमें भारी वृद्धि क्यों हो रही है, इसमें प्रमुख घरेलू हिंसा है, जिसने शहरी एवं ग्रामीण

महिलाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह एक ऐसा स्वरूप है जिसमे जीवन के सभी पहलुओं को सम्मिलित कर सकते है; जैसे इसमें शारीरिक, भावात्मक, यौन, आर्थिक शोषण आदि उनके सगे सम्बन्धियों तथा पति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और यह पहले से पूर्वनिर्धारित होता है। भारत में महिलाओं एवं पुरूषों के बीच असमानता का कारण सांस्कृतिक मापदण्डों के मूल्यों में वृद्धि और पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। यह समस्या नगरों में गम्भीरतर होती जा रही है।

स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है। अतः उन्हें अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में हैं। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक मानते हैं तथा उसे दुर्गा, सरस्वती तथा लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते हैं। उनके अनुसार 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यदि वास्तव में समाज में नारी को यही स्थान प्राप्त है तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं हो सकती है।

महिलाओं के प्रति हिंसा को प्रेरित करने के अनेकों कारण हैं। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पायी जाती है। पति ही पत्नी का भरण-पोषण करता है, ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा अशिक्षा उन्हें घर के चाहारदीवारी तक ही कैद करके रख देती हैं और वे अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है जिसे वे उनके प्रति अत्याचार करके शान्त करते हैं। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति-पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नही होता है और अनुकूल सम्बन्ध न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वह पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। पुरुष नशे के दौरान भी पत्नी के प्रति अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में पाया गया है कि अधिकांश बलात्कारी नशे में धुत्त थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज का लालच, पत्नी से लड़के के जन्म की इच्छा तथा मद्यपान महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण माने जाते हैं। महिलाओं को वांछित मात्रा में दहेज न लाने पर जिन्दा जला देने अथवा निरन्तर उन पर अत्याचार करने की घटनाएँ इसकी द्योतक हैं। अनेक महिलाएँ पति की हिंसा का इसलिए भी शिकार होती हैं कि उन्हें शंका है कि उनका पति किसी अन्य महिला से सम्बन्ध रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारण पहले पति-पत्नी में मतभेद पैदा करते हैं जो अन्ततः घरेलू हिंसा तक पहुँचा देते हैं। इन कारणों में किसी स्त्री की अपने जीवनसाथी से अधिक कमाई, रात देर तक घर से अनुपस्थिति, सास-ससुर की उपेक्षा एवं उनसे गाली-गलौज, सामाजिक दृष्टि से अधिक खुला होना प्रमुख हैं। कामकाजी स्त्रियाँ भी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

परिवार के अन्दर किसी भी स्त्री के विरूद्ध शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, और आर्थिक दुर्व्यहार होता है तो वह घरेलू हिंसा के अन्तर्गत

आता है। 'सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल' के एक लेख के अनुसार महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 अक्टूबर 2006 से देश भर में 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005' लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत वास्तविक दुर्व्यवहार या शारीरिक, मैथुनिक, मौखिक, भावोत्तेजक या आर्थिक धमकियाँ आती हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत वे सभी महिलाएँ आती हैं जो सगोत्रता, विवाह या दत्तक-स्वीकरण ने नाते दुर्व्यवहारकर्ता के साथ एक ही छत के नीचे रहती है। यह महिला को बिना तलाक प्राप्त किए अपने पैतृक मकान में रहने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है।

यह जानने योग्य है कि अगस्त 2005 में ही घरेलू हिंसा बिल संसद ने पारित कर दिया था। 13 सितम्बर 2005 को राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद इसे कानून का दर्जा मिल गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है—''घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावात्मक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी है। गैर-कानूनी रूप से दहेज की माँग के लिए महिलाओं अथवा उसके नातेदारों के उत्पीड़न को भी इस परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।'' यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2006 को लागू किया गया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की महिलाओं के परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार से अधिकारों के हनन को रोकने तथा उनके हितों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाने की बात कही गई है। यद्यपि यह एक दीवानी कानून है, तथापि यह कुछ कृत्यों को अपराध मानता है जिनकी सजा कैद या आर्थिक दण्ड के रूप में दी जा सकती है। स्त्री अधिकारों के लिए कार्यरत सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। इसकी वजह यही है कि घरेलू हिंसा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, लगभग 70 फीसदी महिलाएँ किसी-न-किसी किस्म की घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इससे अब तक निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। सत्तर के दशक से ही नारी आन्दोलन में घरेलू हिंसा का मुद्दा एक केन्द्रीय मुद्दा रहा है।

वर्तमान में स्त्रियों को न केवल भेदभाव के विरूद्ध लड़ना है बल्कि सरकार, समाज और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले दमन के सभी रूपों से स्वतन्त्रता और मुक्ति पाने के लिए तो लड़ना है। इसके अतिरिक्त, उसे अपने तथा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक रहने की महती आवश्यकता है क्योंकि बिना स्वास्थ्य के किसी भी मोर्चे पर फतह हासिल करना मुश्किल ही नहीं असम्भव भी है।

महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य तथा अन्य सहायक गतिविधियों—पोषाहार, शिक्षा आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। गाँवों में यह स्थिति शहरों की अपेक्षा और भी बदतर है। 1987 में शिशु मृत्यु दर 104 थी, तो बहुत अधिक है। इस मृत्यु दर का मुख्य कारण है, जन्म के समय बच्चों का वजन कम होना, उनका संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त होना और कुपोषण है। गाँवों में 40 प्रतिशत से अधिक शिशु मृत्यु दर 0-4 वर्ष की आयु के बच्चों की होती है।

महिला परिवार की धुरी है। महिला के स्वास्थ्य का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं जिसमें एक महत्त्वपूर्ण कारक पोषण है। वास्तव में स्वास्थ्य के दो रूप हैं—शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य। कहने की जरूरत नहीं है कि महिला की परिवार में देखभाल करने वाले की भूमिका होती है। लगभग सभी परम्परागत समाजों में परिवारों में बच्चे-बूढ़ों और बीमार की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं की रही है। आज जब महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका में कई बुनियादी परिवर्तन हो चुके हैं तथा निर्धारित भूमिकाओं के विरूद्ध आवाज उठने लगी है तब भी पारिवारिक स्वास्थ्य में महिला की महत्त्वपूर्ण भूमिका अनवरत बनी हुई है।

जिस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर पोषण के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके पारिवारिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिन परिवारों में पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं होता, वहाँ तमाम तरह की शारीरिक-मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। घरेलू हिंसा से ग्रस्त परिवार के सदस्यों में तनाव, अवसाद, हृदय रोग, चिढ़चिढ़ापन, अनमनस्कता, आदि पाए जाते है।

चूँकि महिलाएँ अपना अधिकांश समय घर में बिताती हैं, इसलिए घर का वातावरण सन्तुलित होना आवश्यक हैं। भारत सरकार के योजना आयोग ने महिलाओं के विकास एवं उनकी अधिकारिता को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया है—1. स्वास्थ्य 2. शिक्षा तथा 3. सशक्तिकरण। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है—

> ''महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक मानदण्ड हैं—विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर और बच्चे का लिंग, पारिवारिक संगठन की अभिरचना, परिवार में महिला का स्थान और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की अपेक्षित भूमिका।''

स्वस्थ समाज ही देश के विकास को त्वरित गति दे सकता है और प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे क्योंकि अस्वस्थ्य मानव समाज को विघटन की ओर ले जाता है। महिलाएँ समाज का वह अभिन्न अंग हैं जिनको साथ लिए बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए भारत सरकार ने अपने विकास कार्यक्रम की नीतियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतियों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।

नियोजित विकास कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित अनेक योजनाएँ भारत सरकार द्वारा बनाई गयीं। स्वास्थ्य नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य नीति प्रजननशीलता को कम कर जन्मदर नियन्त्रित करने सम्बन्धी मुद्दे पर ही केन्द्रित रहीं।

घरेलू हिंसा का एक और नया व्यापक रूप भी सामने आ रहा है, जो केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार में माता-पिता, बच्चे, बुजुर्गों के प्रति भी अन्य सदस्यों द्वारा हिंसा की जा रही है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुरूष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं।

3. निष्कर्ष

आज आवश्यकता इस बात की है कि संविधान और तमाम संस्थाओं द्वारा नारी को समता, समानता का अधिकार दिलाने, सशक्त करने और शिक्षित करने के लिए तमाम योजनाएँ चल रही हैं, परन्तु वही नारी जब घर की चहारदीवारी में होती है तो उसकी अधिकारिता के वे समस्त क्षेत्र सीमित हो जाते हैं। अतः आवश्यकता है कि हम सम्प्रति चल रहे 'वन स्टाप सेन्टर', निर्भया फण्ड जैसी सुविधाओं और न्यायालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लें, साथ ही साथ अपनी प्राच्य आर्ष-परम्परा और प्राच्य शिक्षित नारी की संस्कृति को केवल इतिहास में नहीं बल्कि जन-जीवन के मध्य फिर से प्राप्त करने का प्रयास करें, यही राष्ट्रहित में सत्कार्य होगा।

घरेलू हिंसा का मूल कारण पितृसत्ता से सम्बन्धित मूल्य हैं जो परिवारों, समुदायों तथा समाजों में पुरुष प्रभुत्व पर जोर देते हैं। ये मूल्य महिलाओं को भोग की वस्तु मानते हैं। यद्यपि पितृसत्तात्मक मूल्यों की जड़ें भारतीय समाज में गहरी हैं, फिर भी महिलाओं का सशक्तिकरण तथा क्त की रक्षा करने वाले कानून भारतीय महिलाओं को उनके समान अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह की हिंसा के साथ-साथ लैंगिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्हें नैतिकता एवं अमानवीय पितृसत्तात्मक प्रथाओं के दोहरे मानकों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। महिलाओं, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पुराने पितृसत्तात्मक मूल्यों के आसानी से टूटने की सम्भावना नहीं है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने तक प्रयास जारी रहना चाहिए।

सन्दर्भ-सूची

1. **मनुस्मृति**।
2. **योजना**, अक्टूबर, 2016, पृ0सं0 38.
3. **सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल**, जनवरी, 2020.
4. डॉ0 धर्मवीर महाजन एवं डॉ0 (श्रीमती) कमलेश महाजन, **अपराधशास्त्र**, दिल्लीः विवेक प्रकाशन, 2018, पृ0सं0 230.
5. Ram Ahuja, **Crime against Women**, Jaipur & New Delhi: Rawat Publication, 1987.
6. Ram Ahuja, **Social Problems in India**, Jaipur & New Delhi: Rawat Publication, 2012, p. 217.
7. Surabhi Mahajan and Sanjeev Mahajan, "Domestic Violence in India" in **Contemporary Social Sciences**, Vol. 21 (1), January 2012, pp. 29-68. ★

https://doi.org/10.62047/JNDH.2025.10.31.19